File No. 180/2021

राजस्व वाद 180/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/
राजेश चौधरी वगैरह बनाम्‌पेमाराम

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :180/2021

वादीगण–

1. राजेश चौधरी
2. रणजीत चौधरी
3. आनन्द कुमार पुत्रगण पेमाराम
   जातियान– जाट निवासीगण–बालाजी नगर ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. पेमाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी–बालाजी नगर, तहसील–जायल, नागौर।
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री राजेन्द्रसिंह ढाका प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 01/11/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा रूपनगर तहसील जायल में खेत खसरा नं. 594 रकबा 3.2941 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 595 रकबा 3.8850 हैक्टेयर, खसरा नंबर 612 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा नंबर 613 रकबा 0.5018 हैक्टेयर, खसरा नंबर 614 रकबा 1.7159 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादी ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा 2072 में वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क से 6) के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। नजरीनक्शा वाद का ही एक भाग है। वादी राजेश चौधरी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रूपनगर का खेत खसरा नंबर 595 रकबा 3.8850 हैक्टेयर में से 0.7851 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खसरा नंबर 612 रकबा 0.1942 हैक्टेयर पूरा , खसरा नंबर 613 रकबा 0.5018 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 614 रकबा 1.7159 हैक्टेयर पूरा नजरीनक्शानुसार रखा गया है। वादी संख्या 2 रणजीत चौधरी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रूपनगर का खेत खसरा नंबर 595 रकबा 3.

01/11/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

8850 हैक्टेयर में से 3.0999 हैक्टैयर उतरी भाग , खसरा नंबर 594 रकवा 3.2941 हैक्टेयर में से 0.09771 हैक्टेयर पश्चिमी भाग मार्क ए से बी लम्बाई व 4 मीटर चौड़ा रखा गया है जिसकी उतरी तरफ आवासिय ढाणी बनी हुई है। पक्की ढाणी वादी रणजीत के बंट में रहेगी। वादी संख्या 3 आनन्द कुमार के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रूपनगर का खेत खसरा नंबर 594 रकबा 3.2941 हैक्टेयर में से 3.1970 हैक्टैयर मध्य में नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 पेमाराम के बंट में मौजा खाटुकलां के खेत खसरा नंबर 2052/496 तथा खसरा नंबर 2451/496 यथावत खातेदारी में रहेंगें। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने दिनांक 05.10.2021 को उपस्थित न्यायालय ईकबालिया जबाब पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह ढाका ने की। ईकबालिया जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या का सम्मन स्वयं से तामील होकर अप्राप्त है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबालिया जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह राजेश चौधरी पुत्र पेमाराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम रूपनगर तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 84 प्रदर्श–1, ग्राम खाटु कलां नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 253 प्रदर्श–2 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में जरिये

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

ईकबालिया जबाब, साक्ष्य शपथ पत्र व सहमति से वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबालिया जबाब में वर्णित पैराज एवं नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 05.10.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जबाब एवं साक्ष्य शपथ पत्र पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 05.10.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है। दिनांक 01.11.2021 को वादी राजेश एवं प्रतिवादी संख्या 1 पेमाराम ने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पिंडिया में उपस्थित होकर अपनी बंटवाड़े पर अपनी सहमति व्यक्त की जिसकी पुष्टि पत्रावली में आर्डर शीट पर वादी राजेश व प्रतिवादी पेमाराम के हस्ताक्षर से होती है। वादी राजेश एवं प्रतिवादी पेमाराम ने किसी प्रकार की उजर आपति प्रस्तुत नहीं तथा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

प्रकरण हाजा में मौजा रूपनगर के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 612, 613, 614 की भूमि को वादी राजेश चौधरी के हक बंट में रखा है तथा शेष मुतदाविया खेताय खसरा नंबर 595 व 594 में वादीगण के मध्य हिस्से विशेष का बंट गया है जो पूर्ण विभाजेन नहीं है लेकिन वाद पत्र में नजरीनक्शा संलग्न कर माफिक नजरीनक्शानुसार अनुसार बंट चाहा है। अतः मौजा रूपनपगर तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 612, 613, 614, 595 व 594 में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा माफिक ईकबालिया जबाव/सहमति एवं लोक अदालत की भावना अनुसार बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार कर वाद को अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा रूपनपगर तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 612, 613, 614, 595 व 594 में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा माफिक ईकबालिया जबाब/सहमति एवं लोक अदालत की भावना अनुसार बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार कर वाद को अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

1. वादी राजेश चौधरी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रूपनगर का खेत खसरा नंबर 595 रकबा 3.8850 हैक्टेयर में से 0.7851 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खसरा नंबर 612 रकबा 0.1942 हैक्टेयर पूरा , खसरा नंबर 613 रकबा 0.5018 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 614 रकबा 1.7159 हैक्टेयरें पूरा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 रणजीत चौधरी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रूपनगर का खेत खसरा नंबर 595 रकबा 3.8850 हैक्टेयर में से 3.0999 हैक्टैयर उतरी भाग , खसरा नंबर 594 रकबा 3.2941 हैक्टेयर में से 0.09771 हैक्टेयर पश्चिमी भाग मार्क ए से बी लम्बाई व 4 मीटर चौड़ा रखा गया है जिसकी उतरी तरफ आवासिय ढाणी बनी हुई है।
3. वादी संख्या 3 आनन्द कुमार के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रूपनगर का खेत खसरा नंबर 594 रकबा 3.2941 हैक्टेयर में से 3.1970 हैक्टैयर मध्य में नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 पेमाराम के बंट में मौजा खाटुकलां के खेत खसरा नंबर 2052/496 तथा खसरा नंबर 2451/496 की खातेदारी रहने से मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है।

निर्णय आज दिनांक 01/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

01/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तादाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :180/2021

वादीगण–

1. राजेश चौधरी
2. रणजीत चौधरी
3. आनन्द कुमार पुत्रगण पेमाराम
   जातियान– जाट निवासीगण–बालाजी नगर ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. पेमाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी–बालाजी नगर, तहसील–जायल, नागौर।
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री राजेन्द्रसिंह ढाका प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 श्री राजेन्द्रसिंह ढाका अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा रूपनपगर तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 612, 613, 614, 595 व 594 में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा माफिक ईकबालिया जबाब/सहमति एवं लोक अदालत की भावना अनुसार बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार कर वाद को अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

1. वादी राजेश चौधरी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रूपनगर का खेत खसरा नंबर 595 रकबा 3.8850 हैक्टेयर में से 0.7851 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खसरा नंबर 612 रकबा 0.1942 हैक्टेयर पूरा , खसरा नंबर 613 रकबा 0.5018 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 614 रकबा 1.7159 हैक्टेयर पूरा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 रणजीत चौधरी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रूपनगर का खेत खसरा नंबर 595 रकबा 3.8850 हैक्टेयर में से 3.0999 हैक्टैयर उतरी भाग , खसरा नंबर 594 रकबा 3.2941 हैक्टेयर में से 0.09771 हैक्टेयर पश्चिमी भाग मार्क ए से बी लम्बाई व 4 मीटर चौड़ा रखा गया है जिसकी उतरी तरफ आवासिय ढाणी बनी हुई है।

Scanned with CamScanner

3. वादी संख्या 3 आनन्द कुमार के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रूपनगर का खेत खसरा नंबर 594 रकबा 3.2941 हैक्टेयर में से 3.1970 हैक्टैयर मध्य में नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

4. प्रतिवादी संख्या 1 पेमाराम के बंट में मौजा खादुकलां के खेत खसरा नंबर 2052/496 तथा खसरा नंबर 2451/496 की खातेदारी रहने से मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है।

निर्णय आज दिनांक 01/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

01/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01/11/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

01/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner